5

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3723–तीन / 14 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-12-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता, स्थगन एवं समयसीमा के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 99 / 85–86 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–4–95 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10–11–14 को अर्थात 19 वर्ष विलंब से पेक्ष की गई है जो अवधि बाह्य है । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । ऐसी स्थिति में विलंब का समुचित स्पष्टीकरण न होने से यह निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है । 2– आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी /2014 R - 3723 - III /14

रूक्मिणी देवी पत्नि दिलीप सिंह निवासी ग्राम मानहड तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0।

..................आवेदक

विरूद्ध

हीरालाल बृजलाल पुत्र खैरा निवासी ग्राम कांकर तहसील व जिला शिवपुरी ।

.........................अनावेदक

श्री सुनील सिंह जादौन, अभि० द्वारा आज दि. 10-11-14 को प्रस्तुत

क्लर्क/लोक कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर